

पूंजीगत प्राप्तियां

(करोड़ रुपए)

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011	बजट 2011-2012	संशोधित 2011-2012	बजट 2012-2013
ऋण-भिन्न प्राप्तियां					
1. ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां					
1.01.	राज्य सरकारें				
1.01.01.	सकल प्राप्तियां	7601	9209.05	11247.00	9418.00
1.01.02.	वसूलियां	7601	-1100.00	-3000.00	-1000.00
	<i>निवल-राज्य सरकारें</i>		<i>8109.05</i>	<i>8247.00</i>	<i>8418.00</i>
1.02.	संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल सहित)	7602	118.43	111.37	111.41
1.03.	विदेशी सरकारें	7605	289.26	324.06	310.32
1.04.	अन्य ऋण तथा अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)				
1.04.01.	सकल प्राप्तियां	9001	19635.87	16769.58	13255.47
1.04.02.	वसूलियां	9001	-15733.09	-10490.00	-10445.00
	<i>निवल-अन्य ऋण तथा अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)</i>		<i>3902.78</i>	<i>6279.58</i>	<i>2810.47</i>
	<i>निवल-ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां</i>		<i>12419.52</i>	<i>15020.00</i>	<i>11650.20</i>
2. विविध पूंजी प्राप्तियां		4000	22846.07	15492.89	30000.00
जोड़ - ऋण-भिन्न प्राप्तियां			35265.59	55020.00	41650.20
ऋण प्राप्तियां					
3. उधार					
3.01.	बाजार ऋण				
3.01.01.	सकल ऋण	6001	437000.00	417128.00	569615.94
3.01.02.	पुनर्भुगतान	6001	-111585.53	-74128.00	-90615.94
	<i>निवल-बाजार ऋण</i>		<i>325414.47</i>	<i>343000.00</i>	<i>479000.00</i>
3.02.	अल्प आवधिक उधार				
3.02.01.	14 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां				
3.02.01.01.	सकल उधार	6001	2217300.63	2500566.00	2145265.00
3.02.01.02.	पुनर्भुगतान	6001	-2209868.22	-2500566.00	-2145265.00
	<i>निवल</i>		<i>7432.41</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
3.02.02.	91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां				
3.02.02.01.	सकल उधार	6001	257982.94	310244.36	532546.50
3.02.02.02.	पुनर्भुगतान	6001	-259141.19	-309771.20	-537546.50
	<i>निवल</i>		<i>-1158.25</i>	<i>473.16</i>	<i>-5000.00</i>
3.02.03.	182 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां				
3.02.03.01.	सकल उधार	6001	43300.55	54993.59	99352.50
3.02.03.02.	पुनर्भुगतान	6001	-42800.00	-50595.00	-99352.50
	<i>निवल</i>		<i>500.55</i>	<i>4398.59</i>	<i>...</i>
3.02.04.	364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां				
3.02.04.01.	सकल उधार	6001	42481.60	52609.85	104371.35
3.02.04.02.	पुनर्भुगतान	6001	-41497.14	-42481.60	-90371.35
	<i>निवल</i>		<i>984.46</i>	<i>10128.25</i>	<i>14000.00</i>
3.02.05.	नकद प्रबंधन बिल				
3.02.05.01.	सकल उधार	6001	12000.00	20000.00	95000.00

(करोड़ रुपए)

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011	बजट 2011-2012	संशोधित 2011-2012	बजट 2012-2013
3.02.05.02. पुनर्भुगतान निवल	6001	-12000.00 ...	-20000.00 ...	-93000.00 ...	-95000.00 ...
3.02.06. अर्थोपाय अग्रिम					
3.02.06.01. सकल उधार	6001	104701.00	130876.00	716819.00	700000.00
3.02.06.02. पुनर्भुगतान निवल	6001	-104701.00 ...	-130876.00 ...	-716819.00 ...	-700000.00 ...
निवल - अत्यावधिक उधार		7759.17	15000.00	116083.60	9000.00
निवल - उधार		333173.64	358000.00	552497.41	488000.00
4. लघु बचतों के लिए प्रतिभूतियां					
4.01. प्राप्तियां	6001	12535.71	25484.94	...	2500.00
4.02. पुनर्भुगतान	6001	-1302.49	-1302.48	-10302.48	-1302.48
निवल - लघु बचतों के लिए प्रतिभूतियां		11233.22	24182.46	-10302.48	1197.52
5. राज्य भविष्य निधियां					
5.01. प्राप्तियां	8009	37835.41	30000.00	38000.00	41000.00
5.02. संवितरण	8009	-25321.70	-20000.00	-28000.00	-29000.00
निवल - राज्य भविष्य निधियां		12513.71	10000.00	10000.00	12000.00
6. अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण)					
6.01. राहत बांड					
6.01.01. प्राप्तियां	6001
6.01.02. संवितरण	6001	-78.24	-65.09	-233.14	-39.99
निवल - राहत बांड		-78.24	-65.09	-233.14	-39.99
6.02. बचत बांड					
6.02.01. प्राप्तियां	6001	5257.76	2000.00	634.42	846.52
6.02.02. संवितरण	6001	-12905.67	-13052.09	-13255.86	-10619.62
निवल - बचत बांड		-7647.91	-11052.09	-12621.44	-9773.10
6.03. अन्य					
6.03.01. प्राप्तियां	6001
6.03.02. संवितरण	6001	...	-0.30
निवल - अन्य		...	-0.30
6.04. डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ)					
6.04.01. प्राप्तियां	6001	...	7000.00	7000.00	6800.00
6.04.02. संवितरण	6001
निवल - डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ)		...	7000.00	7000.00	6800.00
6.05. अन्य प्राप्तियां (राज्य भविष्य निधि के अलावा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र)					
6.05.01. प्राप्तियां	9002	659826.05	511699.73	497132.15	538987.55
6.05.02. पुनर्भुगतान	9002	-661195.99	-521389.10	-504486.06	-533668.50
6.05.03. घटाइए - प्राप्तियां	9002
निवल - अन्य प्राप्तियां (राज्य भविष्य निधि से भिन्न लोक लेखा)		-1369.94	-9689.37	-7353.91	5319.05
6.06. अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान					
6.06.01. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष					
6.06.01.01. प्राप्तियां	6001	9051.12	8767.75	1609.78	42123.32
6.06.01.02. पुनर्भुगतान	6001	-4269.29	-0.01	-2592.87	-0.02

(करोड़ रुपए)

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011	बजट 2011-2012	संशोधित 2011-2012	बजट 2012-2013
6.06.01.03. घटाइए - निवल प्राप्तियां <i>निवल</i>	6001	-9051.12 -4269.29	-8767.75 -0.01	-1609.78 -2592.87	-42123.32 -0.02
6.06.02. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक					
6.06.02.01. प्राप्तियां	6001
6.06.02.02. पुनर्भुगतान <i>निवल</i>	6001	-87.12 -87.12
6.06.03. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ					
6.06.03.01. प्राप्तियां	6001
6.06.03.02. पुनर्भुगतान <i>निवल</i>	6001
6.06.04. एशियाई विकास बैंक					
6.06.04.01. प्राप्तियां	6001	122.11
6.06.04.02. पुनर्भुगतान <i>निवल</i>	6001	-15.78 106.33	-21.70 -21.70	-31.50 -31.50	-31.50 -31.50
6.06.05. अफ्रीकी विकास कोष एवं बैंक					
6.06.05.01. प्राप्तियां	6001	42.39
6.06.05.02. पुनर्भुगतान <i>निवल</i>	6001	-11.20 31.19	-37.33 -37.33	-29.34 -29.34	-29.71 -29.71
<i>निवल - अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान</i>		-4218.89	-59.04	-2653.71	-61.23
<i>निवल - अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण)</i>		-13314.98	-13865.89	-15862.20	2244.73
7. विदेशी ऋण					
7.01. बहुपक्षीय					
7.01.01. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक					
7.01.01.01. प्राप्तियां	6002	12743.63	5229.16	3452.00	3864.41
7.01.01.02. पुनर्भुगतान <i>निवल</i>	6002	-2120.61 10623.02	-2291.95 2937.21	-2488.58 963.42	-2928.71 935.70
7.01.02. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ					
7.01.02.01. प्राप्तियां	6002	4871.83	7438.43	7931.46	7043.51
7.01.02.02. पुनर्भुगतान <i>निवल</i>	6002	-3834.07 1037.76	-4009.55 3428.88	-4403.00 3528.46	-4949.85 2093.66
7.01.03. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि					
7.01.03.01. प्राप्तियां	6002	70.80	279.11	156.54	190.32
7.01.03.02. पुनर्भुगतान <i>निवल</i>	6002	-49.72 21.08	-51.57 227.54	-55.98 100.56	-63.17 127.15
7.01.04. एशियाई विकास बैंक					
7.01.04.01. प्राप्तियां	6002	5754.29	5067.57	5388.41	5953.98
7.01.04.02. पुनर्भुगतान <i>निवल</i>	6002	-813.73 4940.56	-946.06 4121.51	-1094.65 4293.76	-1485.74 4468.24
7.01.05. पूर्वी यूरोप समुदाय (सैक)					
7.01.05.01. प्राप्तियां	6002
7.01.05.02. पुनर्भुगतान <i>निवल</i>	6002	-6.68 -6.68	-6.63 -6.63	-7.46 -7.46	-7.74 -7.74
7.01.06. पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन					

(करोड़ रुपए)

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011	बजट 2011-2012	संशोधित 2011-2012	बजट 2012-2013
7.01.06.01. प्राप्तियां	6002	0.95	15.00	17.25	25.00
7.01.06.02. पुनर्भुगतान	6002	-8.44	-8.31	-8.96	-9.64
निवल		-7.49	6.69	8.29	15.36
निवल - बहुपक्षीय		16608.25	10715.20	8887.03	7632.37
7.02. द्विपक्षीय					
7.02.01. जर्मनी					
7.02.01.01. प्राप्तियां	6002	776.18	549.80	1440.59	2421.00
7.02.01.02. पुनर्भुगतान	6002	-415.71	-514.71	-577.45	-869.91
निवल		360.47	35.09	863.14	1551.09
7.02.02. फ्रांस					
7.02.02.01. प्राप्तियां	6002
7.02.02.02. पुनर्भुगतान	6002	-208.87	-202.21	-226.32	-219.38
निवल		-208.87	-202.21	-226.32	-219.38
7.02.03. इटली					
7.02.03.01. प्राप्तियां	6002	...	5.58
7.02.03.02. पुनर्भुगतान	6002
निवल		...	5.58
7.02.04. जापान					
7.02.04.01. प्राप्तियां	6002	7598.66	7550.48	5688.89	6507.73
7.02.04.02. पुनर्भुगतान	6002	-3275.17	-3330.16	-3836.64	-4259.59
निवल		4323.49	4220.32	1852.25	2248.14
7.02.05. स्विटजरलैण्ड					
7.02.05.01. प्राप्तियां	6002
7.02.05.02. पुनर्भुगतान	6002	-3.28	-3.35	-4.02	-4.11
निवल		-3.28	-3.35	-4.02	-4.11
7.02.06. यू.एस.ए.					
7.02.06.01. प्राप्तियां	6002	2865.56
7.02.06.02. पुनर्भुगतान	6002	-215.32	-160.92	-172.58	-146.50
निवल		2650.24	-160.92	-172.58	-146.50
7.02.07. रूसी फेडरेशन					
7.02.07.01. प्राप्तियां	6002	648.27	685.00	101.60	41.99
7.02.07.02. पुनर्भुगतान	6002	-822.63	-794.71	-990.04	-955.40
निवल		-174.36	-109.71	-888.44	-913.41
निवल - द्विपक्षीय		6947.69	3784.80	1424.03	2515.83
निवल - विदेशी ऋण		23555.94	14500.00	10311.06	10148.20
जोड़ - ऋण प्राप्तियां		367161.53	392816.57	546643.79	513590.45
8. नकद शेष का उपयोग के कारण कमी					
8.01. प्राप्तियां	9003	6429.53	20000.00
8.02. संवितरण	9003	-24664.20	...
निवल - नकद शेष का उपयोग के कारण कमी		6429.53	20000.00	-24664.20	...
9. बाजार स्थिरीकरण स्कीम					
9.01. प्राप्तियां	6001	...	20000.00	...	20000.00
9.02. पुनर्भुगतान	6001	-2737.00
निवल - बाजार स्थिरीकरण स्कीम		-2737.00	20000.00	...	20000.00
कुल जोड़		406119.65	487836.57	551730.48	575240.65

1. उपर्युक्त विवरण में पूंजी प्राप्तियों के अनुमानों का मोटे तौर पर श्रेणीवार-ऋण-भिन्न और ऋण प्राप्तियों दोनों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2011-12 के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच होने वाली घट-बढ़ का स्पष्टीकरण देने वाली संक्षिप्त टिप्पणियों के साथ ब्यौरा और सं.अ. 2011-12 और बजट अनुमान 2012-13 के बीच अंतर नीचे दी गई टिप्पणियों में दिया गया है।

1.01 राज्य सरकारों से वसूलियां: राज्य सरकारों से प्राप्तियों का अनुमान सं.अ. 2011-12 में ₹8247.00 करोड़ तथा ब.अ. 2012-13 में ₹8418.00 करोड़ लगाया गया है। सं.अ. 2012-13 में प्राप्तियों में राज्य सरकारों की ऋण माफी शामिल है जिसे समतुल्य व्यय से प्रतिसंतुलित किया जाएगा।

1.02 संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल सहित) से वसूलियां: ये वसूलियां संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को दिए गए ऋणों के संबंध में हैं।

1.03 और 1.04 अन्वयों द्वारा वापसी-अदायगी: इनमें राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को छोड़कर अन्य पक्षों, अर्थात् विदेशी सरकारों, सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों तथा वित्तीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, पत्तन न्यासों, निजी क्षेत्र की कम्पनियों और संस्थाओं, सहकारी समितियों आदि द्वारा ऋणों की वापसी अदायगियां आदि शामिल हैं।

2. विविध पूंजी प्राप्तियां : सं.अ. 2011-12 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में सरकारी इक्विटी के भाग के विनिवेश के कारण ₹13144.55 करोड़ की प्राप्तियां अनुमानित हैं। सरकार ने एक "राष्ट्रीय निवेश निधि" (एनआईएफ) की स्थापना की है जिसमें चुनिंदा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से प्राप्त आय को सरणीकृत किया जाता है। एनआईएफ में जमा ऐसी निधियों का आहरण तथा उनका उपयोग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनःनवीकरण मिशन और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम जैसी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के निधिपोषण के भाग के रूप में पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान के रूप में किया जाएगा। यह व्यवस्था 2012-2013 तक प्रभावी रहेगी। ब.अ. 2012-13 में विभिन्न सीपीएसई में सरकारी इक्विटी के भाग के विनिवेश के जरिए ₹30000 करोड़ की विनिवेश प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है।

3.01 बाजार ऋण : भारत सरकार वर्ष 1992-93 में शुरु की गई दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी द्वारा बिक्री की योजना के अंतर्गत बाजार ऋण जुटाती है। इन नीलामियों का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में किया जाता है। नियत कूपन प्रतिभूतियों के अलावा, सरकार फ्लोटिंग रेट बांड (एफआरबी) जिनपर अर्ध वार्षिक आधार पर देय कूपन दर को नीलामी में निर्धारित विस्तार 'स्प्रेड' को जोड़कर अर्धवार्षिक आधार पर पुनःनिर्धारित किया जाता है। वर्ष 2002-03 से केंद्र सरकार अपनी महत्वपूर्ण उधार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर अर्ध-वार्षिक सांकेतिक बाजार उधार कैलेंडर की घोषणा करती रही है। दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से केंद्र सरकार के निवल बाजार उधारों के संशोधित अनुमान ₹436413.81 करोड़ है। ₹73586.19 करोड़ की राशि के पुनः भुगतान को हिसाब में लेने पर सकल बाजार उधार का सं.अ. ₹510000.00 करोड़ निर्धारित हुआ है। वर्ष 2012-13 में दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से केंद्र सरकार को निवल बाजार उधारों का अनुमान ₹479000.00 करोड़ लगाया गया है। ₹90615.94 करोड़ की अनुसूचित वापसी अदायगी को देखते हुए, ब.अ. 2011-12 में सकल बाजार उधारों की राशि ₹569615.94 करोड़ रखी गई है। 2011-12 में वापसी अदायगियों के ब्यौरे अनुबंध-6 में दिए गए हैं।

विशेष प्रतिभूतियों का रूपांतरण/पुनःपूंजीकरण बॉण्ड : भारत सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान विपणनीय प्रतिभूतियों में तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के एवज में जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों का रूपांतरण पूरा कर लिया है। रूपांतरित कर जारी की गई विपणनीय प्रतिभूतियों के ब्यौरे अनुबंध 6क में दिए गए हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ पुनःपूंजीकरण बॉण्डों को एसएलआर विपणनयोग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने का कार्य भी पूरा किया है (अनुबंध 6ख में ब्यौरा देखें)।

3.02 अल्पावधि उधार (364/182/91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां) : ये राजकोषीय हुंडियां वित्तीय संस्थाओं, बैंकों आदि को अल्पावधि निवेश अवसर प्रदान करती हैं। मुख्यतः इन्हें सरकार के सामान्य नीलामी कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी किया जाता है और ये अप्रतिस्पृष्ट बोलियों के लिए विकल्प भी प्रदान करती हैं। 91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की साप्ताहिक नीलामी और 182 दिवसीय और 364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की पाक्षिक नीलामी निदेशात्मक त्रैमासिक कैलेंडर में अधिसूचित की जाती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा लघु अवधि के नकद अधिशेषों के नियोजन के लिए 14 दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय हुंडियां भी जारी करती है।

3.02.05 नकदी प्रबन्धन हुंडियां : नकदी प्रबंधन हुंडिया सरकार के अस्थाई नकदी प्रवाह असंतुलनों को दूर करने के लिए जारी की जाती हैं। नकदी प्रबन्धन हुंडियां 91दिन से कम की परिपक्वता अवधियों के लिए जारी किए गए बट्टा लिखत हैं और जब आवश्यक हो, तभी जारी की जाती हैं।

4. राष्ट्रीय लघु बचत निधि लघु बचत योजनाएं : इस समय जारी लघु बचत योजनाएं हैं: डाकघर बचत खाता, डाकघर आवधिक जमा (1,2,3 तथा 5 वर्ष), डाकघर आवर्ती जमा, डाकघर मासिक आय खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम), 10 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (IX निर्गम) तथा लोक भविष्य निधि।

4.01 लघु बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां : राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के अधीन, वित्त वर्ष के दौरान आहरणों को घटाकर, विभिन्न लघु बचत योजनाओं के अधीन संग्रहण निधियों का स्रोत बनते हैं। निवल संग्रह का 5 वर्ष की आस्थागत अवधि और 9.5 प्रतिशत की ब्याज दर वाली 25 वर्ष की अवधि का केन्द्रीय और राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। राज्य का हिस्सा राज्य के भीतर निवल संग्रह का 80 प्रतिशत या 100 प्रतिशत है, जैसा कि राज्य विकल्प दे। इन प्रतिभूतियों के एनएसएसएफ में उन्मोचन को औसत जी-सेक दरों पर 20 वर्षीय केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में पुर्निवेश किया जाता है।

तेरहवें वित्त आयोग (एफसीXIII) की सिफारिशों के अनुसार 2006-07 तक संविदा करने वाले राज्यों को ऋणों पर ब्याज दर और 2009-10 के अंत तक बकाया ऋणों को वित्तीय वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए उन राज्यों द्वारा एफसी-XIII की सिफारिशों के अनुसार एमआरबीएम अधिनियम के संशोधन/लागू होने की तारीख से 9 प्रतिशत पर पुनःनिर्धारित किया जा रहा है।

2012-13 के बाद अपने बजट अनुमानों में यथा परिलक्षित राजकोषीय लक्ष्यों के अनुपालन के साथ ही राज्य अस्थायी राहत के हकदार होंगे यदि कोई राज्य ब्याज राहत प्राप्त करने के बाद वास्तव में एफआरबीएम में विचलन करता है (वित्त लेख के अनुसार) तो एनएसएसएफ ऋणों पर घटाया गयी राहत को वापस ले लिया जाएगा और पिछली ब्याज दर फिर से लागू हो जाएगी। राज्य द्वारा प्राप्त अधिक ब्याज दर को अगले वर्ष उसे मिलने वाली वसूलियों से काट लिया जाएगा। जब भी कभी कोई राज्य अपने एफआरबीएम लक्ष्यों के अनुपालन में नाकाम रहता है तो उसे 9 प्रतिशत की पुरानी ब्याजदर पर वापस लौटना ही होगा।

एनएसएसएफ की व्यापक समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुक्रम में समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ एनएसएसएफ से निवेश संबंधी कई सिफारिशें की हैं। इसके अनुसार एनएसएसएफ से निवेश से संबंधित निम्नलिखित संशोधन किए जा रहे हैं :-

(i) राज्य सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एक वर्ष में निवल लघु बचत संग्रहणों में राज्य का न्यूनतम हिस्सा 80 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत होगा। शेष राशि को केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा या अन्य इच्छुक राज्यों को भाड़े पर दे दिया जाएगा या फिर उन्हें केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः स्वामित्व वाली अवसंरचनात्मक कम्पनियों/एजेंसियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा।

(ii) एनएसएसएफ ऋणों की सलाना पुनःअदायगी केंद्र तथा राज्यों द्वारा की जाएगी जोकि 50:50 के अनुपात से केंद्रीय तथा राज्य सरकारों प्रतिभूतियों में निवेश की जाएगी।

(iii) केंद्र तथा राज्यों द्वारा एनएसएसएफ ऋणों के भुगतान की अवधि घटाकर 10 वर्ष की जाएगी इसमें कोई अधिस्थगन नहीं होगा।

(iv) वित्त वर्ष 2011-12 के लिए 9.5 प्रतिशत की पिछली ब्याज दर बनी रहेगी। 1 अप्रैल, 2012 से संशोधित ब्याज दरें अधिसूचित की जाएंगी।

(v) केंद्र तथा राज्यों द्वारा ब्याज का अर्धवार्षिक भुगतान शुरु किया जाएगा।

(vi) केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ से मौजूदा निवेश पर ब्याज दर को 2006-07 तक 9 प्रतिशत पर नए सिरे से तय किया जाएगा और 2007-08 से 2010-11 तक के निवेश पर 9.5 प्रतिशत पर पुनर्निर्धारित किया जाएगा।

(vii) संग्रहण और निवेश आदि के बीच समयावधि घटाने जैसे विविध प्रचालन संबंधी मामलों के समाधान के लिए वित्त मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक, डाक विभाग, भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य चुनिंदा बैंकों तथा कुछेक चुनिंदा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक प्रबोधन (मॉनीटरिंग) समूह गठित किया गया है।

अंशदाताओं के ब्याज भुगतान और प्रबन्धन लागत निधि के अन्तर्गत व्यय का जनक है और केंद्रीय तथा राज्य सरकारी प्रतिभूतियों से अर्जित ब्याज इस निधि से होने वाली आय है।

एनएसएसएफ के साधन स्रोत तथा अनुप्रयोग अनुबंध 7क में दिए गए हैं और एनएसएसएफ के विविध घटकों के ब्यौरे अनुबंध 7ख में दिए गए हैं।

6.02 8 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड, 2003 : 8 प्रतिशत बजत (कर योग्य) बांड, 2003 की शुरुआत 21 अप्रैल, 2003 से शुरु की गई थी ताकि निवासी नागरिक/पुण्यार्थ संस्थाएं/विश्वविद्यालय आदि बिना किन्हीं उच्चतम मौद्रिक सीमाओं के अपनी बचत का निवेश इन कर योग्य बांडों में कर सकें। अर्धवार्षिक भुगतान योग्य 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज वाले इन बांडों की परिपक्वता अवधि छः वर्ष होगी। संचयी और असंचयी दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। ये बांड अंतरणीय नहीं हैं। इनका द्वितीयक बाजार में कारोबार भी नहीं हो सकता है। तथापि, 19 अगस्त, 2008 से वे अनुसूचित बैंकों से ऋण लेने के लिए सहवर्ती प्रतिभूति के रूप में पात्र हैं।

6.03 6.5 प्रतिशत बचत (कर योग्य-भिन्न) बांड, 2003 : 6.5 प्रतिशत बचत (कर योग्य-भिन्न) बांड, 2003 की शुरुआत निवासी नागरिकों को किन्हीं मौद्रिक उच्चतम सीमाओं के बिना कर-मुक्त बांडों में अपनी बचत का निवेश करने में समर्थ बनाने के लिए 24 मार्च, 2003 को की गई थी। इस स्कीम को 9 जुलाई, 2004 को कारोबार समाप्त होने के साथ ही बंद कर दिया गया है। इन बचत बांडों का मोचन किया जाने वाला है और वापसी अदायगी के लिए इनकी परिपक्वता 24 मार्च 2008 से आरंभ हो गई थी।

6.04 डाक विभाग को विशेष प्रतिभूतियों का निर्गम : डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ) और ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा निधि (आरपीओएलएफ) की निश्चल निधियों को परिवर्तित करके डाक विभाग को विशेष प्रतिभूतियों का निर्गम।

6.05 अन्य प्राप्तियां (राज्य भविष्य निधि के अतिरिक्त लोक लेखा) : रेलवे प्रारक्षित निधियां

रेलवे प्रारक्षित निधियों का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध-14 पर देखा जा सकता है। उनमें से प्रत्येक का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(क) **रेलवे पेंशन निधि:** रेलवे कर्मचारियों के पेंशन प्रभारों को पूरा करने के लिए अभिप्रेत है। हर साल इस निधि में उपयुक्त रकम अन्तरित की जाती है और यह रकम व्यय शीर्षों के नामे डाल दी जाती है। पेंशन संबंधी प्रभारों को शुरु में राजस्व शीर्षों के भाग के रूप में पूरा किया जाता है और बाद में निधि से उसकी भरपाई की जाती है। सं.आ. 2011-12 में निधि में ₹17113.02 करोड़ की रकम जमा होने का अनुमान है जिसमें सामान्य राजस्व द्वारा देय ब्याज के रूप में ₹3.02 करोड़ शामिल था। निधि से ₹17000 करोड़ के आहरण का अनुमान है। वर्ष 2012-13 के दौरान इस निधि में ₹13.67 करोड़ के ब्याज सहित ₹18823.67 करोड़ की रकम जमा होने का अनुमान है। इसकी तुलना में ₹18500 करोड़ की रकम की निकासी का अनुमान है।

(ख) **रेलवे मूल्यहास प्रारक्षित निधि:** इस निधि में सुधारात्मक कार्यों सहित परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन और नवीकरण की व्यवस्था की जाती है। अनुमान है कि इस निधि में सं.अं. 2011-12 में सामान्य राजस्व से ₹0.94 करोड़ के ब्याज की अदायगी सहित अंशदान 6360.94 करोड़ रुपए का होगा। 2011-2012 में निधि से ₹6360.13 करोड़ के व्यय का अनुमान है। ब.अ. 2012-2013 के संबंध में, ₹9710.99 करोड़ का क्रेडिट होने का अनुमान है जिसमें ब्याज के मद में ₹10.99 करोड़ शामिल है। ₹9300.00 करोड़ की निकासी होने का अनुमान है।

(ग) **रेलवे विकास निधि:** रेलवे विकास निधि की स्थापना 1950 में की गई थी जिसका उद्देश्य यात्रियों और रेलों का उपयोग करने वाले लोगों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए किए जाने वाले खर्च, श्रमिक कल्याण कार्य संबंधी खर्च, अलाभकारी प्रचालन सुधार एवं सुरक्षा कार्यों का खर्च पूरा करना है। इस निधि के लिए धन की व्यवस्था रेलों के आधिक्य, यदि कोई हो, के उस भाग के विनियोग से की जाती है, जिसका सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है और जिसकी स्वीकृति संसद द्वारा दी जाती है। यदि रेलवे आधिक्य के एक भाग की रकम निधि में अंतर्गत करने के बाद इस निधि में इकट्ठी होने वाली रकम उन कार्यों के खर्चों को पूरा करने के लिए काफी न हो जिसका खर्च इस निधि से पूरा किया जाता है, तो निधि में जमा करने के लिए सामान्य राजस्व निधि से ब्याज पर ऋण लिए जाते हैं। 2011-12 के दौरान निधि की शुरुआत ₹1213.35 करोड़ के नकारात्मक शेष के साथ हुई। वित्त मंत्रालय ने विकास निधि के लिए ₹3,000 करोड़ का ऋण दिया। इसे देखते हुए और राजस्व से इस खाते में ₹550 करोड़ के विनियोग के साथ रेलवे विकास निधि में ₹3551.27 करोड़ के क्रेडिट होने का अनुमान है जिसमें निधि के शेष पर सामान्य राजस्व द्वारा देय ₹1.27 करोड़ का ब्याज भी शामिल है। वर्ष 2011-2012 के दौरान निधि में से निकाली गई राशियां अनुमानतः ₹2078.51 करोड़ हैं। 2012-13 के दौरान निधि में क्रेडिट ₹10713.38 करोड़ निर्धारित किए गए हैं, जिसमें ब्याज के मद में ₹156.38 करोड़ शामिल हैं। वर्ष 2012-2013 के दौरान ₹6903.25 करोड़ की निकासियों का अनुमान लगाया गया है, जो निधि के प्रभार्य कार्यों और 2011-12 में इस निधि के लिए गए ऋण की पूर्ण वापसी अदायगी और तत्संबंधी ब्याज के लिए होंगी।

(घ) **रेलवे पूंजी निधि:** इसे 1992-93 में इसलिए सृजित किया गया था कि रेलवे के आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के लिए रेलवे आन्तरिक रूप से सृजित संसाधनों के एक भाग का उपयोग कर सके। पूंजीगत निधि का वित्तपोषण करने में रेलवे राजस्वों के कम पड़ने की स्थिति में निधि में क्रेडिट करने हेतु सामान्य राजस्व से सब्याज ऋण लिया जाता है। सं.अ. 2011-12 में निधि में जमा राशि ₹924.45 करोड़ होने का अनुमान है जिसमें निधि शेष पर अर्जित ₹0.30 करोड़ का ब्याज शामिल है। जबकि निधि से ₹44.29 करोड़ के बहिर्गमन का अनुमान है। जो 31/03/2011 की स्थिति के अनुसार निधि में नकारात्मक शेष पर सामान्य राजकोष का देय ब्याज होगा। 2012-13 में, इस निधि में ₹5002.75 करोड़ जमा होगा। जिसमें ₹2.75 करोड़ ब्याज से प्राप्त होना अनुमानित है तथा जो निधि शेष पर अर्जित होगा जबकि आहरण ₹4915.00 करोड़ अनुमानित है।

(ङ) **रेलवे सुरक्षा निधि:** इसका सृजन मानव रहित लेवल क्रासिंग के परिवर्तन और व्यस्त लेवल क्रासिंग पर रेलवे उपरि/अंडर सेतु के निर्माण से संबंधित सुरक्षा कार्यों के वित्तपोषण के लिये दिनांक 1.4.2001 से किया गया है। इस निधि का वित्तपोषण मुख्यतया केंद्रीय सड़क निधि से सरकार द्वारा निधियों के अंतरण और

सामान्य राजस्वों को भुगतान किये जा रहे लाभांश से रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए इस समय किये जा रहे अंशदान से किया जाता है। यह निर्व्याज निधि है। इस निधि में 2011-2012 में जमा राशि ₹1062.17 करोड़ रखी गई है। जबकि निधि से 1656.60 करोड़ रुपए के आहरण किये जाने का अनुमान है। ब.अ. 2012-13 में ₹1105.06 करोड़ का क्रेडिट तथा ₹2000.00 करोड़ के आहरण का अनुमान है।

6.06 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं : यह अनुमान (क) भारत के अभिदान/अंशदान के लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों तथा (ख) कतिपय लेनदेन, जिनमें विशेष आहरण अधिकारों का उपयोग अंतर्निहित है, से संबद्ध हैं। प्रत्येक संस्थाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

6.06.01. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ): भारत सहित आईएमएफ के सदस्य देशों को उनके कोटा हिस्से का भुगतान अपेक्षित होता है जो इस प्रकार है : सदस्य देश (भारत के मामले में भारत सरकार) द्वारा जारी नकदी योग्य ब्याज रहित प्रतिभूतियों में 75 प्रतिशत और नकद में 25 प्रतिशत (एसडीआर अथवा नकद मुद्रा के मूल्यवर्ग में)। 2008 कोटा समीक्षा के संबंध में भारत की कोटा वृद्धि का भुगतान 31 मार्च, 2011 को किया गया। तदनुसार, ब्याज रहित प्रतिभूतियों द्वारा 75 प्रतिशत अर्थात् ₹8467 करोड़ की राशि और शेष 25 प्रतिशत अर्थात् ₹2860.1 करोड़ का भुगतान किया गया।

इसी प्रकार, 2010 कोटा समीक्षा संबंधी कोटा वृद्धि का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष 2012-13 में किए जाने का अनुमान है। भारत की कोटा वृद्धि के भुगतान की कुल राशि जिसे वित्तीय वर्ष 2012-13 में किए जाने का अनुमान है, वर्तमान विनिमय दर पर ₹56000 करोड़ (7292.9 मिलियन एसडीआर) होगी। तदनुसार इस राशि का 75 प्रतिशत अथवा ₹42000 करोड़ का भुगतान प्रतिभूतियों के जरिए और शेष नकद (एसडीआर/नकद मुद्रा) में किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को भारत के अभिदानों के प्रति जारी विशेष प्रतिभूतियों और विशेष आहरण अधिकारों के प्रयोग वाले कतिपय लेनदेनों से संबंधित अनुमान (करोड़ रुपए) आईएमएफ में भारत की आसन्न कोटा वृद्धि में आंशिक रूप से अभिदान करने के लिए मूल्य के अनुरक्षण देयताओं के प्रति; और वित्तीय लेनदेन योजना के अंतर्गत लेनदेनों के क्रय के प्रति हैं। कोष के करार-अनुच्छेद के 'मूल्य अनुरक्षण' उपबंध के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा सामान्य संसाधन खाते में धारित मुद्राओं के मूल्य को विशेष आहरण अधिकार (एस.डीआर.) के रूप में बनाए रखना जरूरी है और इस उपबंध के अनुसार कोष में किसी सदस्य की मुद्रा की धारिता में उस समय समायोजन किया जाता है और इस प्रावधान के अनुसरण में सदस्य देश की मुद्रा में इस निधि में धारिता प्रत्येक वर्ष समायोजित की जाती है।

भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के एसडीआर आबंटन में भागीदार है। एसडीआर का प्रयोग प्रभारों के भुगतान और अतिरिक्त अभिदान के भुगतान सहित पुनःक्रय देयताओं जैसे लेनदेनों में किया जाता है। एफटीपी के अंतर्गत क्रय और पुनःक्रय लेनदेनों को लोक लेखा में "विशेष आहरण अधिकार" शीर्ष के नामे डाला जाता है। जमा किया जाता है। एसडीआर के रूप में आईएमएफ को किए गए भुगतानों को इस शीर्ष के जमा उभय पक्षी संगत व्यय शीर्ष के नामे डाला जाता है। इसी प्रकार एसडीआर के रूप में उगाही गई प्राप्तियों को इस शीर्ष के प्रति आहरण द्वारा संगत प्राप्ति शीर्षों में जमा किया जाता है।

नए एसडीआर आबंटन : वर्ष 1981 से भारत को एसडीआर का निवल संचयी आबंटन 681.2 मिलियन एसडीआर बना हुआ था। तथापि, आईएमएफ द्वारा अपने सदस्य देशों को 28 अगस्त, 2009 को आईएमएफ में उनके विद्यमान कोटे के अनुपात में लगभग 250 बिलियन अमरीकी डालर के समकक्ष एसडीआर का आबंटन किया गया। इसके परिणामस्वरूप, भारत को कुल 3,082.5 मिलियन एसडीआर का आबंटन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, आईएमएफ करार अनुच्छेद में चौथे संशोधन (जिसमें एसडीआर के एक विशेष एक-बारगी आबंटन की व्यवस्था थी) का अनुमोदन किया गया। तदनुसार आईएमएफ द्वारा अपने सदस्यों को 9 सितम्बर, 2009 को विशेष आबंटन किया गया। इसके परिणामस्वरूप भारत को कुल 241.6 मिलियन एसडीआर का आबंटन किया गया है। इस प्रकार, वर्ष 2009-10 के दौरान, भारत को कुल 3,297.1 मिलियन एसडीआर (3082.5 मिलियन एसडीआर जमा 214.6 मिलियन एसडीआर) का आबंटन किया गया।

परिणामस्वरूप, आईएमएफ द्वारा भारत को निवल संचयी आबंटन अब 3,978.26 मिलियन एसडीआर बैठता है। 3,978.26 मिलियन एसडीआर के इस निवल संचयी आबंटन में से, भारत के पास 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार 2889.84 मिलियन एसडीआर हैं, जो इसके निवल संचयी आबंटन का 75.52 प्रतिशत है।

6.06.02 अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.वी.आर.डी.): मूल्य संबंधी अनुरक्षण (एमओवी) देयताओं के विशेष डालर मूल्यवर्ग की प्रतिभूतियों में अंतरित होने के साथ सं.अ. 2011-12 और बजट अनुमान 2012-13 में किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

6.06.03 अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.): सं.अ. 2011-12 और ब.अ. 2012-13 में आईडीए को कोई भुगतान करने की व्यवस्था नहीं है।

6.06.04 एशियाई विकास बैंक (एडीबी): एशियाई विकास बैंक रुपया प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखता है, जिनको समय-समय पर भारत में रुपयों में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए भुनाया जा सकता है। ब.अ. 2011-12 में ₹21.70 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। संशोधित अनुमान 2011-12 और बजट अनुमान 2012-2013 के लिए क्रमशः ₹31.50 करोड़ और ₹31.50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

6.06.05 अफ्रीकी विकास निधि (एफडीएफ) और अफ्रीकी विकास बैंक (एफडीबी): एफडीएफ और एफडीबी की स्थापना मुख्यतया इस उद्देश्य से की गई थी कि उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान कर इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से और विकास किया जा सके। भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ निकट आर्थिक सहयोग बढ़ाने हेतु निधि तथा बैंक दोनों में प्रवेश किया है।

7. विदेशी ऋण : बजट 2012-13 में सकल प्राप्तियां ₹26047.94 करोड़ और वापसी अदायगी ₹15899.74 करोड़ आंकी गई है। इसके फलस्वरूप निवल विदेशी ऋण ₹10148.20 करोड़ होगा। विस्तृत ब्यौरा इस दस्तावेज के पूंजी प्राप्तियां भाग में दिया गया है।

7.01 बहुपक्षीय एजेंसियां : ब.अ. 2012-13 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि, एशियाई विकास बैंक, पूर्वी यूरोपीय समुदाय (एसएसी) तथा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से होने वाली निवल प्राप्तियां ₹7632.37 करोड़ रहने का अनुमान है। एजेंसीवार ब्यौरा इस दस्तावेज के अनुबंध-9 (विदेशी सहायता) में उपलब्ध है।

7.02 द्विपक्षीय एजेंसियां : ब.अ. 2012-13 में जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विटजरलैंड, यूएसए और रूसी संघ से होने वाली निवल प्राप्तियां ₹2515.83 करोड़ रहने का अनुमान है। एजेंसीवार ब्यौरा इस दस्तावेज के अनुबंध-9 (विदेशी सहायता) में उपलब्ध है।

9. बाजार स्थिरीकरण योजना : सरकार के अनुमोदित व्यय को पूरा करने के लिए सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम के भाग के रूप में एमएसएस नकद खाते की राशि के एक भाग को सामान्य नकद खाने में अंतरित करने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच आपसी सहमति से बाजार स्थिरीकरण योजना से संबंधित समझौता ज्ञापन को संशोधित किया गया है। एमएसएस के तहत जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियों की समतुल्य राशि भारत सरकार के सामान्य बाजार उधार का हिस्सा होगी। 2012-13 में एमएसएस के तहत निवल प्राप्तियां ₹20,000 करोड़ होने का अनुमान है।